



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122020-223681
CG-DL-E-12122020-223681

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3968]
No. 3968]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2020/अग्रहायण 20, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2020/AGRAHAYANA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4515(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2905(अ) दिनांक 27.08.20, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में NH-754K के कि.मी. 482.243 से कि.मी. 490.243 (उपखण्ड अधिकारी सिणधरी) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का.आ. 2905(अ) दिनांक 27.08.20 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 05.10.20 को दैनिक भास्कर और 06.10.20 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में NH-754K के कि.मी. 482.243 से कि.मी. 490.243 (उपखण्ड अधिकारी सिणधरी) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।"

राज्य का नाम : राजस्थान		जिले का नाम: बाड़मेर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सिणधरी				
	गांव का नाम: भाटा				
1	726	निजी	बा. दोयम	0.9989	1. लूंभाराम पुत्र हंसाराम हिस्सा- 1/2 जाति- राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा दाखा 2. वेलाराम पुत्र हंसाराम हिस्सा- 1/2 जाति- राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा दाखा (726)
2	734	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0684	ग्राम पंचायत जूनामीठाखेड़ा। हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए (734)
			कुल	1.0673	

[फा. सं. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3a2/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2020

S.O. 4515(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2905(E) dated 27.08.20, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in

the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-754K on the stretch of land from Km 482.243 to Km 490.243 (Sub-Divisional Officer Sindhari) in the district of Barmer in the state of Rajasthan

And whereas the substance of the said notification S.O. 2905(E) dated 27.08.20 has been published in Dainik Bhaskar dated 05.10.20 and Rajasthan Patrika dated 06.10.20; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the NH-754K on the stretch of land from Km. 482.243 to Km. 490.243 (Sub-Divisional Officer Sindhari) in the district of Barmer in the state of Rajasthan

State: RAJASTHAN			District: BARMER		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sindhari				
	Village: Bhata				
1	726	Private	Ba. Doyam	0.9989	1. Lumbharam S/o Hansaram Hissa ½ caste Raika sa. deh Khatedar Rahin Hissa ½ (Purn Khata) SBBJ Branch Dakha. 2. Velaram S/o Hansaram Hissa ½ caste Raika sa. deh Khatedar Rahin Hissa ½ (Purn Khata) SBBJ Branch Dakha. 726
2	734	Government	G.M. Rasta	0.0684	Gram Panchayat Junamithakheda. Hissa Purn Sanstha ke liye 734
			TOTAL	1.0673	

[F. No. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3a2/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.